## समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत

(बाह्य न्यायालय, रामनगर, जिला नैनीताल)

| | |
|---|---|
| स्थान :– रामनगर | दिनांक–09 सितम्बर, 2023 |
| पीठ संख्या :– | 11 |
| वाद संख्या /प्रार्थना पत्र संख्या (वादपत्र के अनुसार) | आपराधिक वाद संख्या : 779 / 2022<br>श्रीमती रामा देवी **बनाम** मौ0 हनीफ<br>(न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर, नैनीताल) |

| | |
|---|---|
| याचिकाकर्ता / वादी / शिकायतकर्ता | : श्रीमती रामा देवी (परिवादी) |
| प्रतिवादी / प्रत्युत्तरदाता | : मौ0 हनीफ (अभियुक्त) |
| वाद की प्रकृति | आपराधिक वाद (अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881) |

### उपस्थित

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : | श्री रवि प्रकाश<br>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>रामनगर, जिला नैनीताल |
| सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : | श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, एडवोकेट |

### अधिनिर्णय

**दिनांक–09.09.2023**

उपरोक्त मामला निस्तारित किये जाने हेतु इस राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ के समक्ष संदर्भित / प्रस्तुत किया गया। अतः निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की ओर से सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि इस आपराधिक वाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने हेतु दिनांक 09.09.2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के लिए संदर्भित किया जाय जिस पर पत्रावली आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुई।

परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.07.2023 प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वाद में परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य समझौता हो गया है, परिवादी को चैक में वर्णित सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान हो गया है, जिस कारण परिवादी अपने परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। तद्नुसार राजीनामा के आधार पर मामले को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य सुलहनामा हो गया है और परिवादी वाद की कार्यवाही प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.07.2023 के आधार पर आगे नहीं चलाना चाहता है।

अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 का अभियोग है, धारा–147 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित अभियोग शमनीय प्रकृति का है।

प्रस्तुत परिवाद के पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह–समझौता किया गया है। अतः शमन के आधार पर प्रस्तुत आपराधिक वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सुलह–समझौता की कोई शर्त नहीं रखी गयी है, बल्कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस सुलह–समझौता में सम्बन्धित न्यायालय की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सुलह–समझौता में कोई प्रतिभाग किया गया है। अतः *मध्य प्रदेश लीगल सर्विसेस एथार्टी बनाम प्रतीक जैन एवं अन्य (2014) 10 एस0सी0सी0 690* में पारित माननीय उच्चतम् न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार अभियुक्त पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जा रहा है।

तद्नुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है।

अग्रेतर कार्यवाही हेतु पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए।

श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, एडवोकेट
सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच,

(रवि प्रकाश)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला नैनीताल
अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच